



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 कार्तिक 1941 (श0)

(सं0 पटना 1199) पटना, वृहस्पतिवार, 24 अक्टूबर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

24 अक्टूबर 2019

एस० ओ० 392 दिनांक 24 अक्टूबर 2019—बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (समय समय पर यथा संशोधित) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 147 दिनांक 07 सितम्बर, 2017 (इस अधिसूचना में "उक्त अधिसूचना" के रूप में निर्दिष्ट) में संशोधन करते हुए निर्दिष्ट करते हैं कि उक्त अधिसूचना की क्रम सं० 1 एवं 2 के स्तम्भ (2) में उल्लेखित वस्तुओं पर नीचे दी गयी तालिका के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट शर्त एवं बंधेज के अधीन स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर से कर उद्ग्रहित होगा—

तालिका

क्रम संख्या	मालों का विवरण	दर (प्रतिशत में)	शर्त एवं बंधेज
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मोटर स्पीड (पेट्रोल)	26.00	यदि बिक्रय मूल्य रु० 65 प्रति लीटर से अधिक नहीं है
		22.00	यदि बिक्रय मूल्य रु० 65 प्रति लीटर से अधिक है
2	हाई स्पीड डीजल ऑयल तथा लाईट डीजल ऑयल	19.00	यदि बिक्रय मूल्य रु० 64 प्रति लीटर से अधिक नहीं है
		15.00	यदि बिक्रय मूल्य रु० 64 प्रति लीटर से अधिक है

2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।

[सं० बिक्री कर/संशोधन-05/2018-3178]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

24 अक्टूबर 2019

एस० ओ० 392 दिनांक 24 अक्टूबर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं०सं० बिक्री कर/संशोधन-05/2018-3178]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 24th October 2019

S.O. 392, Dated 24th October 2019— In exercise of the powers conferred by Section 14 of Bihar Value Added Tax Act, 2005 (as amended from time to time), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments to Commercial Taxes Department Notification Number S.O. 147, Dated 7th September, 2017 (referred to as the “said notification” in this notification) and specify that the tax on the goods mentioned in column (2) of serial no. 1 and 2 of the said notification shall be levied at the rate specified in column (3) subject to the conditions & restrictions specified in column (4) of the Table given below.

Table

Sl. No.	Description of goods	Rate (in percent)	Conditions & restrictions
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Motor spirit (petrol)	26.00	If Sale price does not exceed Rs.65 per litre
		22.00	If Sale price exceeds Rs.65 per litre
2	High Speed Diesel Oil and Light Diesel Oil	19.00	If Sale price does not exceed Rs.64 per litre
		15.00	If Sale price exceeds Rs.64 per litre

2. This notification shall come into force with effect from its issuance.

[F. No. Bikri-Kar/Sansodhan-05/2018-3178]

By the order of Governor of Bihar

Dr. Pratima

Commissioner State Tax - Cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1199-571+10 -डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>